

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया, अल्मोड़ा, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया, अल्मोड़ा के अप्रैल 2013 से मार्च 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक दिनांक 11.10.2018 से 15.10.2018 तक श्री एस.के. वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(i) **परिचयात्मक:** इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(ii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :** खंड शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया का भौगोलिक क्षेत्र विकास खंड, चौखुटिया है, इसका क्रियाकलाप विकास खंड स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के शैक्षिक स्तर का उन्नयन करना है।

(अ) **विगत पाँच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:**

(₹ लाख में)

वर्ष	लेखा शीर्ष / योजना का नाम	आवंटन	व्यय	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2013-14	2202 (1010400/8001800) (स्थापना एवं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना)	11.61	10.17	-	1.44
2014-15	2202 (1010400/8001800) (स्थापना एवं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना)	9.32	8.11	-	1.21
2015-16	2202 (1010400/1091600/1090500/1090800) (स्थापना, विजिटिंग शिक्षक मानदेय, निर्माण एवं अशासकीय विद्यालयों का प्रांतीयकरण)	118.56	85.60	-	32.96
2016-17	2202 (1010400/1091600/8002400) (स्थापना, विजिटिंग शिक्षक मानदेय, अन्य)	97.31	61.95	-	35.36
2017-18	2202 (1010400/1091600) (स्थापना, विजिटिंग शिक्षक मानदेय)	74.12	70.00	-	4.12
	योग	310.92	235.83	-	75.09

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:


(र लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त		व्यय			बचत	
		GoI	State	GoI	State	Total	GoI	State
2013-14		शून्य-----						
2014-15								
2015-16								
2016-17								
2017-18								

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन में संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

S.No	Year	Name of Society/ NGO involved	Government expenditure through Society/NGO
1	2	3	4
1	2015-16	शून्य-----	
2	2016-17		
3	2017-18		

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा पृष्ठ _____ पर संलग्न है।



(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र खंड शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया, अल्मोड़ा है जिसकी लेखा परीक्षा को नमूना लेखापरीक्षा द्वारा आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया, अल्मोड़ा उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह फरवरी 2016 एवं फरवरी 2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था । इकाई का क्रियाकलाप माध्यमिक शिक्षा के गुणवत्ता के उन्नयन हेतु प्रयास करना एवं विद्यालयों के क्रियाकलापो का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करना है।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971), लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर: 1 वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बही का रखरखाव न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड V भाग I के नियम 27- "क" के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में एक सामान्य रोकड़ बही का रखरखाव किया जाना चाहिए जिसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए राजस्व, उसे कोषागार / बैंक में प्रेषण तथा कोषागार / बैंक से वितरण किए जाने हेतु निकासी को अलग - अलग कालम में इंदराज किया जाना चाहिए।

रोकड़ बही के पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अंकित की जानी चाहिए तथा प्रयोग से पहले उसके पृष्ठों की संख्या का सत्यापन कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा की जानी चाहिए।

इकाई की लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2018) में अभिलेखों की जांच में देखा गया कि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के अनुपालन में इकाई द्वारा रोकड़ बही का रखरखाव नहीं किया जा रहा था एवं लेखापरीक्षा अवधि 2013-14 से 2017-18 में बिना रोकड़ बही के रु 310.92 लाख के लेखा का रखरखाव किया गया था ।

इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि आगे से नियमानुसार रोकड़ बही का रखरखाव किया जाएगा।

अतः रोकड़ बही के रखरखाव न किए जाने का तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

क्रमांक	प्रतिवेदन संख्या	भाग दो अ	भाग दो ब	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग-V**आभार:**

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **खंड शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

विस्तृत जांच हेतु चयनित किए गए माह फरवरी 2016 से संबन्धित वाउचर संख्या A 22020811, A 22020904, A 22020945, B 22020632, B 22020633, B 22020649, B 22020650, B 22020651 एवं A 22021195 लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

1. **सतत् अनियमितताएं:**

-शून्य-

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:**

क्रम सं०	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री शिवकेश प्रसाद दोहरे	खंड शिक्षा अधिकारी	14.01.2011 से 16.10.2014 तक
2.	श्री गणेश चन्द्र पाठक	खंड शिक्षा अधिकारी	17.10.2014 से 05.09.2017 तक
3.	श्री भारत जोशी	उप शिक्षा अधिकारी	06.09.2017 से लेखा परीक्षा तिथि

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **खंड शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया, अल्मोड़ा** उत्तराखंड को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन" कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.